संख्या–239/XXVII(7)/19–30(2)/2008 टी.सी.

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव
विद्यालयी शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादून : दिनांक: 3/जुलाई, 2019

विषयः– **दिनांक 01–01–2006 को या उसके बाद सीधी भर्ती अथवा पदोन्नत कर्मचारियों के शुरूआती वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त नियंत्रक, माध्यमिक शिक्षा के पत्र संख्या–अर्थ 5(क)/29856/वे0निर्धा0/2018–19 दिनांक 18 जनवरी, 2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. शासनादेश संख्या–317/XXVII(7)30(2)/ 2018 T.C.I दिनांक 28 दिसम्बर, 2018 के कम में छठें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर पुनरीक्षित वेतनमानों में दिनांक 01–01–2006 से अथवा उसके पश्चात जैसी भी स्थिति हो पदोन्नति होने पर वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में उक्त वर्णित पत्र के माध्यम से वित्त नियंत्रक, विद्यालयी शिक्षा द्वारा की गयी निम्न जिज्ञासाओं के सम्बन्ध में निम्नवत् स्पष्टीकरण निर्गत किये जाने की मुझसे अपेक्षा की गयी हैः–

क.सं.	जिज्ञासा	स्पष्टीकरण
1.	दिनांक 01–01–2006 या उसके पश्चात ऐसे पदों पर जिनमें सीधी भर्ती से नियुक्ति नहीं होती है, उन पदों पर पदोन्नति होने पर शासनादेश संख्या–41 दिनांक 13 फरवरी, 2009 में दिये गये ग्रेड वेतन के सापेक्ष देय न्यूनतम वेतन से कम निर्धारण होने पर शासनादेश संख्या–41 दिनांक 13 फरवरी, 2009 के अनुसार ग्रेड वेतन के सादृश्य फिटमेंट तालिका के अनुसार न्यूनतम वेतन देय होगा।	शासनादेश संख्या–317/XXVII(7)30(2)/ 2018 T.C.I दिनांक 28 दिसम्बर, 2018 में उल्लिखित व्यवस्थाओं के अधीन ऐसे पदों पर जिनमें सीधी भर्ती से नियुक्ति नहीं होती है, उन पदों पर पदोन्नति होने पर पदोन्नति की तिथि से शासनादेश संख्या–41 दिनांक 13 फरवरी, 2009 में दिये गये ग्रेड वेतन के सापेक्ष देय न्यूनतम वेतन से कम वेतन निर्धारण होने पर उक्त वर्णित शासनादेश दिनांक 13 फरवरी, 2009 के अनुसार समकक्ष ग्रेड वेतन के सादृश्य तालिका के अनुसार न्यूनतम वेतन देय होगा।
2.	जिन पदों पर सीधी भर्ती एवं पदोन्नति दोनों माध्यमों से भर्ती/नियुक्ति का प्राविधान है, उन पदों पर पदोन्नति की स्थिति में वेतन निर्धारण में सीधी भर्ती के लिए शासनादेश संख्या–41/XXVII(7) सी0भर्ती/2009 दिनांक 13 फरवरी, 2009 में दिये गये ग्रेड वेतन के अनुसार न्यूनतम वेतन से कम होने पर स्वतः ही निर्धारित किया जायेगा अथवा सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त कार्मिक के नियुक्ति तिथि से न्यूनतम वेतन पर निर्धारित होगा।	जिन पदों पर सीधी भर्ती एवं पदोन्नति दोनों माध्यमों से भर्ती/नियुक्ति का प्राविधान है ऐसे पदों पर पदोन्नत कार्मिक का वेतन यदि शासनादेश संख्या–41 दिनांक 13 फरवरी, 2009 में दिये गये ग्रेड वेतन के सापेक्ष देय न्यूनतम वेतन से कम हो तो उन्हें भी पदोन्नति की तिथि से काल्पनिक आधार पर तथा दिनांक 28 दिसम्बर, 2018 से वास्तविक रूप से शासनादेश संख्या–41 दिनांक 13 फरवरी, 2009 में उल्लिखित न्यूनतम वेतन अनुमन्य होगा।

Scanned by CamScanner

3. यदि किसी कार्मिक का वेतन निर्धारण उपरोक्त वर्णित शासनादेशों/स्पष्टीकरण में उपबन्धित व्यवस्था से इतर किया गया है तो उक्तानुसार वेतन/पेंशन का पुनर्निधारण करते हुए अधिक भुगतान की गयी धनराशि का नियमानुसार समायोजन आगामी माहों में देय वेतन/पेंशन से किया जाना कृपया सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्याः 239 (1)/XXVII(7) 19–30(2)/2008टी.सी. तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, महोलेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
5. सचिव, विधानसभा सचिवालय, उत्तराखण्ड।
6. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
7. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, कोषागार पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
9. निदेशक, आडिट विभाग, उत्तराखण्ड।
10. समस्त वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

Scanned by CamScanner